खण्ड-448, अंक-2
गुरुवार, 16 माघ, शक संवत् 1925
(5 फरवरी, 2004 ई0)

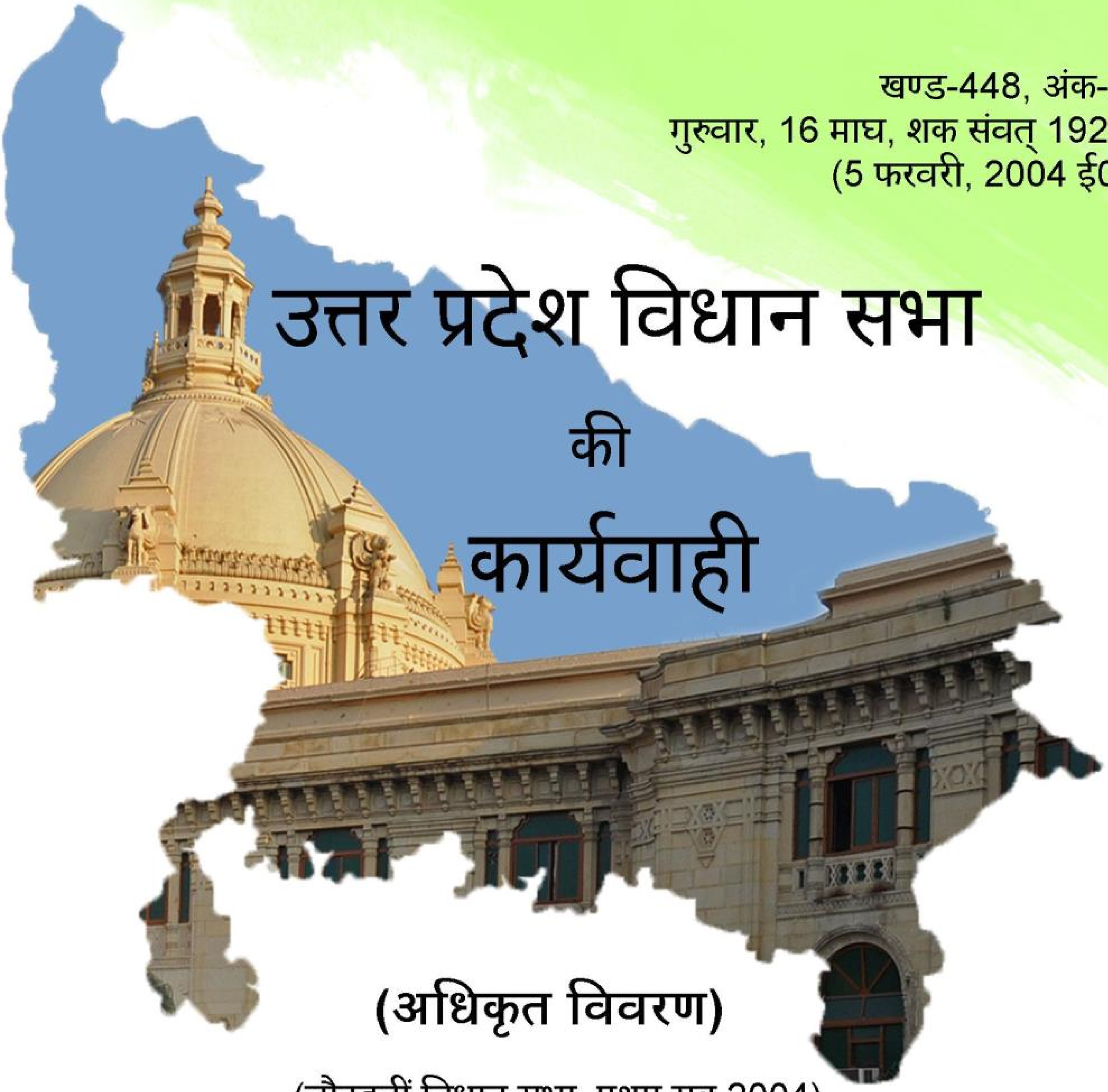

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2004)

खण्ड 448 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–च
प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था तथा समाप्त जिलों एवं मण्डलों को बहाल किये जाने विषयक नियम–311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग (जारी)	1
प्रश्नोत्तर	1-15
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	15
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति का समय बदले जाने के लिए नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	16
जनपद जौनपुर में औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० कबीरुद्दीन के पक्ष में स्वीकृत ऋण को बजट प्रदान करते हुए अवमुक्त किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	16
जनपद जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैरेई में पांच ग्रामीणों का अपहरण किये जाने की नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	16-17
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के लिए नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	17
जनपद सीतापुर में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय बालगृह के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	17
प्रदेश में गन्ना किसानों को समान मूल्य दिलाये जाने तथा गन्ना रिकवरी जांच वैज्ञानिकों या स्वतंत्र एजेन्सी से कराये जाने के लिए नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	17-18
इलाहाबाद को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	18
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री वंशीधर पाण्डेय, जवाहर सिंह यादव तथा प्रदीप कुमार यादव के निधन पर शोकोद्गार	18-19
प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था तथा समाप्त जिलों एवं मण्डलों को बहाल किये जाने विषयक नियम–311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग ...	20-22
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ..... (जारी) ...	22-24
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण ..... (प्रस्तुत किया गया)	24
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	24-25
नत्थी	26

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 05 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–352

1–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
2–अजय कुमार, डा० — बागपत
3–अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
4–अताउल रहमान, श्री — बरेली
5–अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
6–अनार सिंह दिवाकर, श्री — पट्टा
7–अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
8–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
9–अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
10–अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
11–अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
12–अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — पट्टा
13–अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
14–अनुग्रह नारायण उर्फ खोसा सिंह, श्री — देवरिया
15–अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — धर्मी
16–अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
17–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
18–अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
19–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20–अब्बास अली जैदी उर्फ मुन्नी मियां, श्री — बाराबंकी
21–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
22–अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
23–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
24–अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
25–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27–अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
28–अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० — जालौन
29–अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
30–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
31–अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
32–अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
33–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34–अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
35–अशोक वाजपेयी, डा० — हरदोई
36–अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
37–आदित्य विक्रम सिंह (बीकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
38–आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
39–आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
40–आर०एस० कुशवाहा, श्री — खीरी
41–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
42–आर०के० सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
43–आलम बदी, श्री — आजमगढ़
44–आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45–आशा किशोर, श्रीमती — गाजियाबाद
46–आशीष यादव, श्री — बदायूं
47–आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
48–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
49–इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
50–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
51–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
52–उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
53–उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
54–उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
55–ऊषा वर्मा, श्रीमती — हरदोई
56–ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
57–ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर

58–ओम प्रकाश
(ओ० पी० सिंह), श्री सुल्तानपुर
59–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
60–ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
61–ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
62–कपिल देव यादव, श्री मऊ
63–कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
64–कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
65–कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
66–काजिम अली खां
उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
67–कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
68–कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
69–काशी राम, श्री रामपुर
70–किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
71–किरनपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
72–किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
73–कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
74–कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
75–कृष्ण कुमार सिंह
उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
76–कृष्णानन्द राय, श्री गाजीपुर
77–कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
78–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
79–कैलाश, श्री गाजीपुर
80–कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
81–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
82–कौकब हमीद खां, श्री बागपत
83–कौशल किशोर, श्री खीरी
84–कौशल किशोर, श्री लखनऊ
85–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
86–गंगा बक्श सिंह, डा० उन्नाव
87–गया चरन दिनकर, श्री बांदा
88–गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
89–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
90–घनश्याम शुक्ल, श्री गोण्डा
91–घूरा राम, श्री बलिया
92–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
93–चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
94–चन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
95–चिनरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
96–छेदी राम, श्री गाजीपुर
97–छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
98–छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
99–जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
100–जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
101–जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
102–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
103–जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
104–जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
105–जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
106–जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
107–जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
109–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
109–जयराम विमल, श्री अम्बेडकर नगर
110–जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
111–जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
112–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
113–तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
114–ददु प्रसाद, श्री चित्रकूट
115–दयाराम, श्री कौशाम्बी
116–दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
117–दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
118–दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
119–दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
120–दीनानाथ भास्कर, श्री सन्त रविदास नगर,भदोही
121–दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
122–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
123–देवकी नन्दन, श्री हाथरस
124–देव नारायन उर्फ
जी०एम० सिंह, श्री गोरखपुर
125–देवेन्द्र नागपाल, श्री ज्योतिबाफूले नगर
126–देवेन्द्र प्रताप, श्री एटा
127–देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
128–द्वारिका प्रसाद, श्री सन्त कबीर नगर

129–धर्मपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
130–धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
131–धर्म सिंह सैनी, डा० सहारनपुर
132–धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
133–धू राम लोधी, चौधरी हमीरपुर
134–नत्थू सिंह, श्री उन्नाव
135–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० इलाहाबाद
136–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
137–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
168–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
139–नवाब सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
140–नारद राय, श्री बलिया
141–पकौड़ी लाल, श्री मिर्जापुर
142–परमेश्वर दयाल, श्री सोनभद्र
143–पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
144–पी० के० राय, डा० कुशीनगर
145–पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
146–पीतम राम, श्री पीलीभीत
147–पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
148–प्रताप चौधरी, श्री हाथरस
149–प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
150–प्रभु दयाल, श्री मेरठ
151–प्रभु नारायण, श्री वाराणसी
152–प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
153–प्रमोद गौड़, श्री अलीगढ़
154–प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
155–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
156–प्रेम लता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
157–फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
158–फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) देवरिया
159–फागू, श्री मऊ
160–बंशीधर राज, श्री खीरी
161–बलराम यादव, श्री आजमगढ़
162–बाबू राम, एम०काम०, श्री जालौन
163–बाबू लाल, श्री गोण्डा
164–बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
165–बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
166–बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
167–बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
168–बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट जालौन
169–बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
170–बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
171–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
172–भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
173–भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
174–भरत सिंह, श्री बलिया
175–भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
176–भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
177–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
178–मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
179–मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
180–मदन भैया, श्री बागपत
181–मदन सिंह गौतम उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
182–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
183–मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
184–मशहूद खां, श्री बलरामपुर
185–मस्तराम चौ०, एडवोकेट उन्नाव
186–महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
187–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री सीतापुर
188–महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी अलीगढ़
189–महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
190–महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
191–महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
192–माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
193–मान पाल सिंह, श्री एटा
194–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
195–मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
196–मुंशीलाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
197–मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
198–मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
199–मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर बिजनौर
200–मोख्तार अंसारी, श्री मऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

201–मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
202–मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
203–मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
204–मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
205–मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
206–मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
207–मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
208–मो० शफीर, श्री फतेहपुर
209–यशपाल चौधरी, श्री खीरी
210–यशवन्त सिंह, डा० मुजफ्फरनगर
211–योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
212–योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
213–रणवीर राणा, श्री मेरठ
214–रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
215–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
216–रमेश कुमार शर्मा, श्री झांसी
217–रमेश चन्द बिन्द, डा० मिर्जापुर
218–रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
219–राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
220–राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
221–राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
222–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
223–राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
224–राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
225–राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
226–राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
227–राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
228–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
229–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
230–राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
231–राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
232–राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
233–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
234–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
235–राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
236–राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
237–राम करन आर्य, श्री बस्ती
238–राम किशुन, श्री वाराणसी
239–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
240–राम कृष्ण, श्री सीतापुर
241–राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
242–रामजी शुक्ला, श्री औरैया
243–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
244–रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
245–रामपाल यादव, श्री सीतापुर
246–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
247–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
248–राम बाबू हरित, डा० आगरा
249–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
250–राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
251–राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
252–रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
253–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
254–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
255–राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
256–राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
257–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
258–रामहेत, श्री सीतापुर
259–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
260–रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबा फूले नगर
261–रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
262–लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, डा० मेरठ
263–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
264–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
265–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
266–लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
267–लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
268–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
269–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
270–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद

271–विजय कुमार मिश्रा, श्रीसन्त रविदासनगर, भदोही
272–विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
273–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
274–विजेन्द्र सिंह, श्री हाथरस
275–विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
276–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
277–विनय शाक्य, श्री औरैया
278–विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
279–विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
280–विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
281–विनोद तिवारी, डा० पीलीभीत
282–विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री बदायूं
***283–विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
284–विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
285–विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
286–वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
287–वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
288–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
289–वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
290–वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री ललितपुर
291–वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
292–वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
293–शंख लाल मांझी, श्री सन्त कबीर नगर
294–शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
295–शब्बीर, श्री बहराइच
296–शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
297–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
298–शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
299–शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
300–शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
301–शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
302–शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
303–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
304–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
305–शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
306–शिव प्रताप यादव, डा० बलरामपुर
307–शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
308–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
309–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
310–शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
311–श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
312–श्याम देव राय चौधरी, श्री वाराणसी
313–श्याम नारायन, श्री महराजगंज
314–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
315–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
316–श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
317–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
318–संजीव दरियावादी, श्री कानपुर नगर
319–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
320–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
321–सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
322–सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
323–सत्य नारायण, श्री हरदोई
324–सन्ध्या कठेरिया, कु० मैनपुरी
325–समरपाल सिंह, श्री बागपत
326–सलिल विशनोई, श्री कानपुर नगर
327–सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
328–सियाराम सागर, डा० बरेली
329–सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
330–सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
331–सुख देवी वर्मा, श्रीमती इटावा
332–सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
333–सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
334–सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री गाजियाबाद
335–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
336–सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
337–सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
338–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
339–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ

340–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	347–हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
341–सुल्तान वेग, श्री	बरेली	348–हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
342–सुशील चौधरी, डा०	सहारनपुर	349–हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
343–सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	350–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव	
344–सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर	''हरीश जी'', श्री	वाराणसी
345–सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी	351–हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
346–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली	352–होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :–पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह) एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 05 फरवरी, 2004

प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था तथा समाप्त जिलों एवं मण्डलों को बहाल किये जाने विषयक नियम-311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

श्रीमन् नियम–311 में हमारी सूचना है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस समय प्रदेश में गुण्डा राज कायम है मुख्य मंत्री का भतीजा भी सुरक्षित नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग पहले अपना स्थान तो ग्रहण कर लीजिए ।

(घोर व्यवधान के मध्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और जोर-जोर से कहने लगे कि ''प्रदेश में कानून -व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गयी है । '' सदन के फ्लोर पर खड़े रहकर श्री नवाब सिंह नागर एक वैनर का प्रदर्शन करने लगे, जिसमें लिखा था कि '' गौतम बुद्ध नगर जिला जो समाप्त हो गया है, उसे बहाल करो ।'')

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । आपने जो सूचना दी है वह नियम–56 में चयनित हो गयी है और वह यथा समय ले ली जायेगी ।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी करते हुए सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 3 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पोलीथीन के निर्माण तथा उसकी बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने की मांग

**1.–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में पोलीथीन के निर्माण तथा उसकी बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम 2000 प्रख्यापित किया गया है, जिसकी धारा–7 में यह प्राविधान किया गया है कि पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग खाद्य सामग्री के भण्डारण अथवा उसे ले जाने या पैकिंग में नहीं किया जायेगा और यदि मोटाई 20 माइक्रान से कम हो तो किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है । पुनः चक्रित प्लास्टिक से भिन्न किसी प्लास्टिक का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा । यदि उसकी मोटाई 20 माइक्रन से कम है । उक्त अधिनियम की धारा–8 के अधीन उल्लंघन कर्ताओं को प्रथम दोष सिद्धि होने की दशा में एक मास का कारावास अथवा/और रु० 5,000 तक दण्ड दिया जा सकेगा और पश्चात्वर्ती दोष सिद्धि की दशा में छः मास का कारावास अथवा/और रुपया 10,000 तक का जुर्माना किया जा सकेगा ।

उक्त के अतिरिक्त कतिपय श्रेणी के प्लास्टिक के विनिर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबन्ध को सख्ती से लागू किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 2003 भी निर्गत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में ड्राफ्ट बीयर की आदर्श दुकाने खोले जाने का निर्णय व औचित्य

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ड्राफ्ट बीयर की आदर्श दुकाने खोले जाने हेतु क्या सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां ।

प्रदेश के विकास योजनाओं के लिये राजस्व के अतिरिक्त संसाधन पैदा करने की दृष्टि से वर्ष 2003-04 में विदेशी मदिरा की माडल शाप खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें ड्राफ्ट बियर को पिलाने की सुविधा होगी । ड्राफ्ट बियर में अल्कोहल की मात्रा 4 प्रतिशत वी/वी से 8 प्रतिशत वी/वी तक होती है, जबकि विदेशी मदिरा में अल्कोहल की मात्रा 42.8 प्रतिशत वी/वी की होती है । ड्राफ्ट बियर में अल्कोहल की मात्रा कम होने के कारण अपेक्षाकृत कम हानिकारक होती है । ड्राफ्ट बियर की बिक्री शुरु करने का एक उद्देश्य मदिरा के उपभोक्ताओं को हार्ड से साफ्ट ड्रिंक की तरफ आकर्षित करना है ।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को क्रय/विक्रय करने की नीति

*2–श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को बिना जिलाधिकारी की अनुमति के क्रय नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो उक्त नीति के विपरीत होने वाले क्रय-विक्रय पर रोक लगाने तथा पूर्व में हुए ऐसे क्रय को नियमित करने हेतु शासन द्वारा क्या कोई नीति बनाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 157 क, 157 क क एवं 169 में निर्धारित नीति के प्रतिकूल किए गए क्रय/विक्रय को अधिनियम की धारा 166 के तहत शून्य तथा ऐसी भूमि को धारा 167 के तहत राज्य सरकार में निहित करने का प्राविधान है । नियमों के विरुद्ध क्रय/विक्रय को नियमित करने हेतु कोई नीति विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आजमगढ़ स्थित तहसील सगड़ी के ग्राम हरड़ इस्माइलपुर के किसानों को सूखा राहत राशि का वितरण

1–श्री भगेलू राम–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ स्थित तहसील सगड़ी के ग्राम हरड़ इस्माइलपुर के किसानों को वर्ष 2003 में क्या सूखा राहत राशि का वितरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी –

जी नही ।

राहत वितरण न कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम गाजीपुर सैदुन्निशा, स्थित चर्च रोड इंदिरा नगर के निवासियों का कथित भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

2–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गाजीपुर सैदुन्निशा, स्थित चर्च रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ के निवासियों का मा० पूर्णमासी देहाती आदि विधायकगण द्वारा का अग्रसारित पत्र दिनांक 15-11-2003 जो आबादी की भूमि, बंजर भूमि, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जो को हटाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी हां ।

पत्र में तालाब के रूप में उल्लिखित गाटा संख्या 657, 122, 62 व 19 वर्तमान अभिलेखों के अनुसार गाटा सं० 657 श्रीमती इन्द्रमती त्रिपाठी पत्नी वासुदेव त्रिपाठी नि० कोड़हा जगत जिला गोण्डा व गाटा सं० 122 व 62 आवास विकास परिषद् के नाम अंकित है, गाटा सं० 19/0.373 तालाब के खाते में दर्ज है जिसका नगर निगम द्वारा 15-7-1995 को मानस विहार सहकारी आवास समिति के पक्ष में पटटा विलेख निष्पादित किया गया है ।

इसी प्रकार गाटा सं० 419, 418, 417 व 398 श्रीमती शकुन्तला देवी शर्मा पत्नी आर०के०शर्मा नि० प्रयागपुर हाउस यूनीवर्सिटी रोड लखनऊ के नाम व गाटा सं० 399 श्रीमती पदमा मलखानी पत्नी

के०के० मलखानी व कु० चित्रा मलखानी पुत्री के०के० मलखानी नि० ओटस रोड लखनऊ के नाम अंकित है ।

इस प्रकार गाटा सं० 19 के अतिरिक्त कोई भूमि ऐसी नहीं है जो वर्तमान अभिलेखों में आवादी, बंजर या ग्राम समाज के रूप में दर्ज हो गाटा सं० 19 जो तालाब के रूप में दर्ज है का पट्टा विलेख नगर निगम द्वारा दि० 15-7-1995 को सम्पादित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के ग्राम गाजीपुर स्थित चर्च रोड, इंदिरा नगर के निवासियों का कथित भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

3–श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गाजीपुर, स्थित चर्च रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ के निवासियों का पत्र दिनांक 12-1-2004 जो ग्राम की आवादी की भूमि, तालाब की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ के लहुरी बजेठी से धरौली के मध्य बरईया नाले पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

4–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश सं०–2137/13-11-02, जो जनपद प्रतापगढ़ के लहुरी बजेठी से धरौली के मध्य बरईया नाले पर पुल निर्माण से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

कार्य का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित मार्गों को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

5–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित कुल 7 मार्गों को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी राज्य मंत्री, कृषि के पत्र संख्या–1073 दिनांक 2-6-03, सं० 1135, दिनांक 26-6-03, सं० 1420, दिनांक 22-7-03 जो मा० मुख्य मंत्री जी एवं उन्हें प्रेषित किये गये हैं प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां । लेकिन पत्र सं० 1420 दिनांक 22-7-03 प्राप्त नहीं हुआ । अधिनीत कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

जनपद प्रतापगढ़ में बीबीपुर वारडीह से बंधवा सलाहपुर सम्पर्क मार्ग स्वीकृत सम्बन्धी घोषणा से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

6–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में बीबीपुर वारडीह से बंधवा सलाहपुर सम्पर्क मार्ग स्वीकृत संबंधी मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं 70/2001 दिनांक 9-6-2001 के संबंध मलराज्य मंत्री, कृषि का पत्र सं० 790, दिनांक 28-4-03 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । सम्यक् परीक्षणोपरान्त कार्य स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के पास पट्टी-राजा बाजार मार्ग पर कठार नाले पर पुल निर्माण

7–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के पास पट्टी-राजा बाजार मार्ग पर कठार नाले पर पुल निर्माण हेतु शासनादेश सं०–4934ई/23-11-2001-156ई/2001 टी०सी०, दिनांक 19 मार्च, 2002 के अनुपालन में क्या पुल निर्माण पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

मार्च, 2005 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

इब्राहिमपुर घाट पुल के पहुंच मार्ग को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

8– श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि राज्य मंत्री का पत्र सं०477, 478 दिनांक 24-12-02 जो इब्राहिमपुर घाट पुल के पहुंच मार्ग को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है, उन्हें एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । पत्र संख्या–478 प्राप्त हुआ है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासनादेश संख्या–3628/23-12-03-60(2)आई०/96 दिनांक 11-12-2003 द्वारा पुल एवं पहुंच मार्ग के पुनरीक्षित आगणन लागत रु० 389.85 लाख जिसमें पहुंच मार्ग अंश रु० 59.21 लाख सम्मिलित है, पर वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

39वां वृत्त लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हेल्परों की पदोन्नति एवं इसमें कोटे के अनुरूप अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को पदोन्नति देने के संबंध में जानकारी

9–श्री द्वारिका प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 39वां वृत्त लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मार्च, 1997 मे कुल कितने हेल्परों को वर्क एजेण्ट पद पर पदोन्नति दी गई ? क्या इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के हेल्परों को आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार निर्धारित कोटे के अनुरूप पदोन्नति दी गई ? यदि नहीं, तो कोटा पूर्ण न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

39वां वृत्त के अन्तर्गत मार्च 1997 में कुल 20 हेल्परों की पदोन्नति वर्क एजेन्ट के पद पर की गयी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग सं० 24 को अतिक्रमण से मुक्त कराने में लोगों के मकान गिराये जाने विषयक जानकारी

10–श्री राम लाल अकेला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में पक्का पुल, शिया कालेज से लेकर डालीगंज रेलवे क्रासिंग से पूर्व स्थित श्री वेद प्रकाश तिवारी, एडवोकेट के मकान तक राष्ट्रीय मार्ग सं० 28 को अतिक्रमण से मुक्त कराने में किन-किन लोगों के मकान गिराये गये हैं तथा कितने लोगों का मकान गिराना प्रस्तावित है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद लखनऊ में पक्का पुल खदरा शिया कालेज से लेकर डालीगंज रेलवे क्रासिंग से पूर्व स्थित श्री वेद प्रकाश तिवारी, एडवोकेट के मकान तक राष्ट्रीय मार्ग सं०-24 को अतिक्रमण से मुक्त कराने में [1]संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के चबूतरे बाउन्ड्री वाल, छज्जे व मकान आदि आवश्यकतानुसार आंशिक रूप से गिराए गये हैं । राष्ट्रीय मार्गों पर अतिक्रमण नियमानुसार हटाना एक सतत् प्रक्रिया है ।

---

[1] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं० 26 पर)

जनपद लखनऊ में अतिक्रमण के नाम पर श्री वेद प्रकाश तिवारी एडवोकेट ब्रह्मनगर सीतापुर रोड, डालीगंज सहित अनेक लोगो के मकानों को तोड़कर सामान आदि उठा ले जाने संबंधी शिकायती-पत्र की जांच

11– श्री राम लाल अकेला–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश चन्द्र विधायक का पत्र दिनांक 06-9-2000 जो अतिक्रमण के नाम पर श्री वेद प्रकाश तिवारी एडवोकेट ब्रह्मनगर सीतापुर रोड, डालीगंज सहित अनेक लोगो के मकानों को तोड़कर उसमें रखा सामान, किताबें, रुपया आदि उठा ले जाने वाले अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने से सम्बन्धित है, प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां , तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं ,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, संदर्भगत शिकायती-पत्र दिनांक 06-09-2000 प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण बिभाग को प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायते सिद्ध न पाये जाने के कारण किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद देवरिया ग्राम व पोस्ट अहिरौली बघेल में गुलाब चन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण के वर्ष 2003 में वर्षा के कारण गिरे मकानों का निर्माण कराये जाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी देवरिया को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुलाब चन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण ग्राम व पोस्ट अहिरौली बघेल जनपद देवरिया में वर्ष 2003 में वर्षा के कारण गिरे मकानों का निर्माण कराये जाने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दूबे, सदस्य, विधान सभा, गोण्डा के पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र जो आपके पत्रांक सं० 622/वी०आई०पी०/एम०आर०/03दिनांक 11 दिसम्बर, 2003 द्वारा जिलाधिकारी देवरिया को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी हां ।

जनपद की तहसील भाटपाररानी के उप जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई गयी । श्री गुलाब चन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण का मकान वर्ष 2003 में अतिवृष्टि/वर्षा के कारण नहीं गिरा है । अतः राहत देने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार ।

बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई जनपद गोण्डा द्वारा मिल परिक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य गन्ना मिलों के क्षेत्र का गन्ना क्रय करने सम्बन्धी प्रकरण की जांच

13–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल तथा डा० पूर्णमासी देहाती–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई जनपद गोण्डा द्वारा विगत पेराई सत्र में मिल परिक्षेत्र के अतिरिक्त किन-किन अन्य गन्ना मिलों के क्षेत्र का कितने कुन्तल गन्ना क्रय किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त चीनी मिल द्वारा बड़े पैमाने पर बाहरी गन्ना मिलों के क्षेत्र का गन्ना क्रय किया गया था ? जिससे गन्ना विकास समिति, गौरा चौकी, गोण्डा तथा बभनान बस्ती के क्षेत्र का काफी गन्ना बिकने से रह गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बभनान चीनी मिल द्वारा गत पेराई सत्र में अपने क्षेत्र के अतिरिक्त मुण्डेरवां चीनी मिल क्षेत्र से 16.37 लाख कुन्टल, नवाबगंज चीनी मिल क्षेत्र से 7.71 लाख कुन्टल, खलीलाबाद चीनी मिल से 0.78 लाख कुन्टल कुल 24.86 लाख कुन्टल गन्ना खरीदा गया । गन्ना समिति गौरा चौकी में 19.62 लाख कुन्टल सट्टा के विरुद्ध 17.62 लाख कुन्टल, गन्ना समिति गोण्डा में 3.60 लाख कुन्टल, सट्टा के विरुद्ध 2.09 लाख कुन्टल, बभनान गन्ना समिति में 40.89 लाख कुन्टल सटाटा के विरुद्ध 45.99 लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की गयी थी । उक्त आपूर्ति के पश्चात् गन्ना समिति गौरा चौकी तथा गोण्डा में गन्ना आपूर्ति हेतु अवशेष नहीं था । स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समिति से सट्टे से अधिक /कम गन्ना अपूर्ति हो जाती है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठते ।

सहकारी गन्ना विकास समिति बभनान (बस्ती) द्वारा गन्ना आपूर्ति का कोटा कम्प्यूटराइज ढंग से निर्धारित करने तथा पर्ची निर्गत करने के कार्य में चीनी मिल प्रशासन द्वारा धांधली का प्रकरण

14–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल तथा डा० पूर्णमासी देहाती–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि सहकारी गन्ना विकास समिति बभनान (बस्ती) के अन्तर्गत आने वाले गन्ना किसानों का गन्ना कोटा तथा गन्ना आपूर्ति पर्ची निर्गत करने की विगत पेराई सत्र में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त गन्ना समिति द्वारा गन्ना आपूर्ति का कोटा कम्प्यूटराइज ढंग से निर्धारित करने तथा पर्ची निर्गत करने का कार्य चीनी मिल बभनान (गोण्डा) द्वारा कराये जाने के कारण कोटा निर्धारण एवं पर्चीनिर्गत करने के कार्य में चीनी मिल प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर धाधंली की गई थी । यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना किसानों के हित में रिसीवर नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गन्ना समिति बभनान में गत वर्ष गन्ना आपूर्ति नियमों के अन्तर्गत करायी गयी थी, परन्तु कुछ कृषकों के अनियमित सट्टे बने थे, जांच में 403 कृषकों के अनियमित सट्टे पाये जाने के कारण वे पूर्ण रूप से बन्द कर दिये थे, 1834 किसानों के सट्टे जो अनुमन्य सीमा से अधिक बने थे, को काट कर अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत किया गया । साथ ही साथ अनियमित पर्चियों पर गन्ना आपूर्ति करने वाले 399 कृषकों का सट्टा बन्द करने के अतिरिक्त उनका गन्ना मूल्य भुगतान भी रोक दिया गया । श्री शिवसागर सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, बभनान को शिथिलता के लिए जिला गन्ना

अधिकारी, कार्यालय में आम्बद्ध कर लिया गया । विगत वर्ष में बभनान चीनी मिल द्वारा अनियमितता करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । अतः रिसीवर नियुक्त करने की कोई स्थिति नहीं बनती है ।

राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय लखनऊ में प्रदेश में स्थानिक सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन प्रक्रिया की जांच

15–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय लखनऊ में प्रदेश में स्थानिक सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों को भरने हेतु जून, 2003 में साक्षात्कार लिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित डिग्री धारक अभियन्ताओं की मेरिट को आधार न बनाकर मात्र साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही चयन करके नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर चयनित अभियन्ताओं की सूची निरस्त कराकर पुनः चयन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय लखनऊ में सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल) के (न कि स्थानिक सहायक अभियन्ता) (सिविल) के रिक्त पदों को भरने हेतु जून, 2003 में साक्षात्कार लिये गये थे ।

जी नहीं ।

चयन का आधार केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंक ही नहीं अपितु सिविल इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्तांक के अनुपात में निर्धारित 60 अंक रखे गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

शाहजहांपुर में बिसरात घाट पर बनने वाले सुलभ शौचालय का निर्माण

16–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर में बिसरात घाट पर बनने वाले सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

जी नहीं, कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

वित्तीय वर्ष 2002-03 में जनपद शाहजहांपुर में बिसरात घाट के निकट सुलभ प्रसाधन के निर्माण हेतु रुपये–3.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है । कार्यदायी संस्था सुलभ इण्टर नेशनल सोशल सर्विस आर्गनाईजेशन द्वारा शासनादेशों का शर्तों को पूर्ण न किये जाने के कारण उक्त कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

जनपद शाहजहांपुर के कोलाघाट पर बनने वाले पुल का निर्माण

17–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद में कोलाघाट पर बनने वाले पुल का शिलान्यास तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री ने वर्ष 1990-91 में किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के आशुलिपिक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच व कार्यवाही

18–श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मलखा यादव आशुलिपिक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी जनपद मऊ द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच किये जाने हेतु तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा दिनांक 13-11-2001 को चकबन्दी आयुक्त को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो प्रकरण में चकबन्दी आयुक्त द्वारा की गयी जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में उप संचालक चकबन्दी, मऊ से जांच करायी गयी । जांच में श्री मलखा यादव के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रश्नगत मार्ग का निर्माण

19–श्री लल्लू सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 2003 के पहले गुरुवार दिनांक 04-12-2003 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–72 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रश्नगत मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उपरोक्तानुसार ।

जिला बस्ती ग्राम पंचायत भटहा तहसील हरैया में वर्तमान में तैनात लेखपाल को पूर्व सेवा से निकाले जाने व न्यायालय में दोषी पाये जाने के बावजूद सरकारी सेवा में लिये जाने का औचित्य तथा जांच की मांग

20–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत भटहा तहसील हरैया जिला बस्ती में वर्तमान में तैनात लेखपाल अपनी पूर्व सेवा से धारा 420/467 तथा 468 के अन्तर्गत दि बभनान शुगर मिल से सेवा से निकाला गया था जिसे श्रम न्यायालय गोरखपुर द्वारा भी उपरोक्त धारा का दोषी पाया गया था ? यदि हां, इसको सरकारी सेवा में किस आधार पर लिया गया था ? क्या सरकार इसकी पुलिस वैरीफिकेशन तथा चरित्र प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारियों को दायरे में लेकर जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी आसपुर देवसरा, मंगरौरा में कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

21–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा में कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्डों में अब तक कितने-कितने कि०मी० सड़कों का निर्माण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प)में आच्छादित जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड पट्टी आसपुर देवसरा में ग्रामीण सम्पर्क ग्रामों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है तथा मंगरौरा विकास खण्ड में मदाफरपुर से हरदोई लिंक मार्ग तथा नरायनपुर क्रासिंग मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है ।

विकास खण्ड पट्टी तथा आसपुर देवसरा के सम्बन्ध में सूचना शून्य है । मंगरौरा विकास खण्ड में मदाफरपुर से हरदोई लिंक मार्ग लम्बाई 6.275 कि०मी० तथा नरायनपुर क्रासिंग लम्बाई 12.850 कि०मी० (कुल 19.125 कि०मी०) सम्पर्क मार्ग निर्मित किये गये हैं ।

वर्ष 2001-02 में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के चयन के समय उक्त वर्णित विकास खण्डों में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग चयनित नहीं हुये थे ।

मुख्य मंत्री जी की घोषणा के संदर्भ में दो मार्गों को स्वीकृत किये जाने हेतु कृषि राज्य मंत्री के पत्र के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

22–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं०–70/2001 के संदर्भ में दो मार्गों को स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य मंत्री, कृषि का पत्र सं०–1068, 1134, 1419 क्रमशः दिनांक 2-6-02,

26-6-03, 22-7-03 क्या उन्हें प्राप्त हुये है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सम्यक परीक्षणोपरान्त कार्य स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र पट्टी के आठ मार्गों तथा दो पुलों के निर्माण एवं 18 सड़को के नवीनीकरण सम्बन्धी लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

23–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश संख्या–1093/दिनांक 8-8-2002 जो जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के आठ मार्गों तथा दो पुलों के निर्माण एवं 18 सड़कों के नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़ चिलबिल मधुपुर सराय रजई मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने विषयक लोक निर्माण विभाग को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–739 दिनांकित 26-4-2003, 1497/बी०आई०पी०/रा०म०कू०/03 एवं 1484, 1477 दिनांक 30-7-2003 एवं 1509 दिनांक 4-8-03 जो चिलबिला मधुपुर सराय रजई मार्ग जनपद प्रतापगढ़ के सुदृढ़ीकरण करने विषयक है और जो मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद जोन को प्रेषित तथा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

1–पत्रांक–739, दि० 26-4-2003 द्वारा वांछित कार्य की लागत रु० 394.00 लाख अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

2–पत्रांक–1497, 1484, 1477 दि० 30-07-2003 द्वारा वांछित कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

3–पत्रांक–1509, दि० 4-8-03 द्वारा वांछित 10 मार्गों में से 03 पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है 03 पर कार्यवाही प्रगति पर है एवं 01 कार्य पर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई । 03 कार्यों पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये स्वीकृत मार्ग के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु धन अवमुक्त करने का अनुरोध सम्बन्धी राज्य कृषि मंत्री का मा० मुख्य मंत्री एवं मा० मंत्री लोक निर्माण को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

25–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये स्वीकृत मार्ग के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु धन अवमुक्त करने का अनुरोध राज्य मंत्री, कृषि के पत्र सं०–786/वी०आई०पी०/दिनांक 28-4-03 द्वारा मा० मुख्य मंत्री एवं मा० मंत्री, लोक निर्माण को प्रेषित किया गया प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अधिनीत कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करायें जायेंगे ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी मार्गों पर मानकों के अनुरूप कृत कार्य

26–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीन दयाल योजना फेज–4, 5, 6, 7 में स्वीकृत जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी मार्गों को मानकों के अनुरूप पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो स्वीकृत लम्बाई तक मानकों के अनुरूप कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? क्या दीन दयाल योजना फेज–4 एवं 5 के कराये गये कार्यों की जांच हेतु राज्य मंत्री कृषि के पत्र सं०–1071 दि० 2-6-03 एवं 1137 दिनांक 26-6-03 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

दीन दयाल योजना के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के समस्त 10 कार्य मानकों के अनुरूप पूर्ण करा दिये गये हैं । दीन दयाल योजना–4 के कुल 21 कार्यों में से 19 कार्य मार्च 2003 तक पूर्ण है । आर०आई०डी०एफ०–6 योजना के 25 कार्यों में से 3 कार्य पूर्ण हैं । आर०आई०डी०एफ–7 योजना के 9 कार्यों में से 01 कार्य पूर्ण हैं । आर०आई०डी०एफ–4, 6 एवं 7 योजना के शेष कार्यों को दिसम्बर, 2004 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान एवं कान्धरपुर बाजार विकास खण्ड मंगरौरा में सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति अधिष्ठापित करने की मांग

27–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद–प्रतापगढ़ में विकास खण्ड आसपुर देवसरा में पृथ्वीराज चौहान एवं कान्धरपुर बाजार विकास खण्ड मंगरौरा में सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापना हेतु निदेशालय के पत्र संख्या–3297/स०नि०–25(876)/2001, दिनांक 10 जनवरी, 2003 का अनुपालन करते हुए मूर्ति को अधिष्ठापित करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मूर्ति को कब तक अधिष्ठापित करा दिया जावेगा ?

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वीरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बजट के अभाव के कारण ।

बजट उपलब्ध होने पर ।

जनपद–प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के जर्जर तहसील भवन के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव

28–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के जर्जर तहसील भवन के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसे कब तक स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी हां ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में नये कार्यों हेतु धन की व्यवस्था नहीं होने के कारण स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है ।

राजस्व अभिलेखों में संशोधन कराने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी कराने विषयक पत्र के संदर्भ में जानकारी

29–डा० पूर्णमासी देहाती–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर राजस्व अभिलेखों में संशोधन कराने के संबंध में शासनादेश जारी कराने विषयक राज्य मंत्री, उद्यान का पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश निर्गत करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जी हां ।

परीक्षणोपरान्त समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री नवाब सिंह नागर, श्री घनश्याम शुक्ला तथा श्री भरत सिंह आदि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आकर पुनः नारे लगाने लगे और कुछ सदस्य बैनर तथा तख्ती पर जिलों एवं मण्डलों की बहाली किये जाने सम्बन्धी लिखे नारे दिखाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें । अभी निधन के निर्देश हैं उसके बाद कार्यस्थगन की सूचना आयेगी । नियम 300 है, नियम 301 है ।

आप स्थान ग्रहण करें, आपकी सूचना आ जायेगी ।

(श्री घनश्याम शुक्ला नारे लगाते हुए प्रतिवेदक की मेज पर चढ़ गये जिनको विधान सभा रक्षकों ने नीचे उतारा ।)

शुक्ला जी, यह ठीक नहीं ।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को एक बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 24 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 1.00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । 2.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(विपक्ष के अनेक सदस्य बैठक प्रारम्भ होते ही नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें । आज निधन के निर्देश होने हैं, हमारे कुछ पूर्व माननीय सदस्य दिवंगत हो गये हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि कम से कम श्रद्धांजलि तो अर्पित कर लें और उसके बाद आपकी बात सुन लेते हैं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 की सूचनाएं नहीं लेंगे और आज दिनांक 5 फरवरी, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 (सात) सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

मैं इन सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लेता हूं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति का समय बदले जाने के लिए नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[मान्यवर, कृपया शासन का ध्यान जनहित के अति महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के बच्चों के भविष्य एवं उनकी पढ़ाई सम्बन्धी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अनुरोध करना है कि 14 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की सुविधा जो वर्तमान में प्रभावी है, में यदि परिवर्तन न किया गया तो सायंकाल 6 बजे से रात्रि 9 व 10 बजे बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे और यही स्थिति प्रातःकाल 5 बजे तक यदि बनी रही तो परीक्षाफल प्रभावित होंगे साथ ही विद्यार्थियों द्वारा सत्याग्रह, आन्दोलन, आदि भी किये जाने की गम्भीर आशंका है जिससे कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे प्रशासन तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा । गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चे रात्रि में विद्युत न मिलने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में ठीक ढंग से परीक्षा नहीं दे पायेंगे । जिससे उनमें रोष व्याप्त होगा एवं उनका भविष्य भी प्रभावित होगा ।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में 14 घण्टे दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति का समय प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे से दूसरे दिन प्रातःकाल 10 बजे तक किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर में औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, कबीरुद्दीनपुर के पक्ष में स्वीकृत ऋण को बजट प्रदान करते हुए अवमुक्त किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[मान्यवर, प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उद्यान विभाग की संस्तुति पर भारत सरकार की संस्था एन०सी०डी०सी० द्वारा ऋण सहायता स्वीकृत की जाती है । उसमें प्रदेश सरकार अपना अंशदान देकर सम्पूर्ण बजट निर्गत करती है । इसी प्रक्रिया के तहत औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० कबीरुद्दीनपुर, जनपद जौनपुर के आवेदन पर वास्ते निर्माण प्लान कोल्ड स्टोरेज का प्रस्ताव सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली को भेजा गया था । उक्त की स्वीकृति प्रदान करके सचिव, खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया है । अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के प्रश्न पर मा० वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० कबीरुद्दीनपुर, जौनपुर के पक्ष में स्वीकृत ऋण को बजट प्रदान करते हुए अवमुक्त करने की मांग करता हूं ।]

जनपद जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैरई में पांच ग्रामीणों का अपहरण किये जाने की नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

[मान्यवर, सम्पूर्ण कालपी क्षेत्र में आये दिन अपहरण की घटनायें हो रही हैं । इसने एक उद्योग का रूप ले लिया है । अपहृत लम्बी-चौड़ी फिरौती देकर छूटते हैं । दिनांक 7-1-2004 को ग्राम बैरई कोतवाली, कालपी में जगबार प्रजापति, जमनादास प्रजापति, राम आसरे प्रजापति, विनोद प्रजापति तथा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शंकर बाबा का अपहरण हो गया है । अपहृत निर्धन हैं तथा उनके परिवार फिरौती देने में असमर्थ हैं । पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी । इससे इनके परिवारों में निराशा तथा क्षेत्र में असुरक्षा का भय व्याप्त है ।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के लिए नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में आजमगढ़–वाराणसी मार्ग पर नई खरगपुर, अवशेष पीच अमानगंज से होते हुए मुडहर तक का मार्ग लम्बाई 3 कि०मी० आजमगढ़–वाराणसी मार्ग पर गोमाडीह हनुमान मन्दिर से पसियाना बस्ती होते हुए सराय पल्टू पीच तक लम्बाई 5 कि०मी० जयनगर, रजहा होते हुए उसरी पीच तक लम्बाई 3 कि०मी० आजमगढ़–जौनपुर मार्ग पर ढेकवा बाजार से शंकरपुर, कनौन, मदनपुर, बसरवां होते हुए हरीशचन्द्रपुर, दुर्गापुर, चकटीकर, अमेठी तक लम्बाई 5 किमी० आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर श्रीरामगंज से उदारपुर होते हुए हरिरामपुर तक लम्बाई 3 किमी० ग्रामीण जनता को आगमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । बरसात के दिनों में भी आने-जाने में बड़ी समस्यायें पैदा होती हैं ।

अतः अनुरोध है कि ग्रामीण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने की कृपा करें ।]

जनपद सीतापुर में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय बालगृह के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला राकेश–

[मान्यवर, मैं, इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ दिलाना चाहती हूं जो महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) सीतापुर में दैनिक वेतन भोगी को एक वर्ष से तथा अन्य कर्मचारियों को विगत कई महीने से वेतन का भुगतान प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है जिससे तैनात कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त संस्था के समस्त कर्मचारियों को देय माहों का वेतन भुगतान कराने के लिये सरकार को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

प्रदेश में गन्ना किसानों को समान मूल्य दिलाये जाने तथा गन्ना रिकवरी जांच वैज्ञानिकों या स्वतंत्र एजेन्सी से कराये जाने के लिए नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० अजय कुमार–

[मान्यवर, गन्ना मूल्य के अग्रिम भुगतान में चीनी की रिकवरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने मूल्य का भुगतान निजी गन्ना मिलों द्वारा इसी आधार पर अलग-अलग दर से किया जा रहा है । गन्ना उत्पादक कृषकों की आम शिकायत है कि चीनी मिलें रिकवरी निर्धारण में हेराफेरी करती है । वास्तव में मिल के अधीनस्थ लैब में ही, रिकवरी का निर्धारण होता है और

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सम्बन्धित मिल द्वारा इसी आधार पर कृषकों को गन्ना का भुगतान किया जा रहा है । निजी मिलें सोची समझी रणनीति के तहत कम परता दर्शाने का कुप्रयास करती हैं । यह प्रक्रिया स्वतः ही प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है । मिलों द्वारा रिकवरी कम दर्शाने से प्रदेश के गन्ना किसानों में व्यापक रोष व्याप्त है । रिकवरी के आधार पर गन्ना मूल्य निर्धारित होने पर प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति भी पैदा हो सकती है ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मलापुर चीनी मिल में इस प्रकार की विसंगति प्रकाश में आई है और मिल प्रबन्धन के विरुद्ध बड़ौत थाना में पिछले सप्ताह रिपोर्ट दर्ज भी की जा चुकी है । कृषकों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि पूरे प्रदेश में सभी गन्ना किसानों को एक समान मूल्य दिलाया जाए और गन्ना रिकवरी जांच वैज्ञानिकों या स्वतंत्र एजेंसी से कराकर कृषकों को लूटने से बचाया जाए । अतः जनहित के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर शासन से इस विषय में शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं । |

इलाहाबाद को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

| मान्यवर, पिछले 2-3 महीनों से इलाहाबाद शहर में मनमाने ढंग से विद्युत कटौती की जा रही है । 4 से 6 घंटे बिजली कटौती हो रही है, इसका कटने का समय भी निश्चित नहीं है, जिसके कारण शहर के नागरिकों तथा बच्चों को काफी असुविधा एवं कठिनाई हो रही है । यहां तक माघ मेला क्षेत्र को भी बिजली कटौती से मुक्त नहीं रखा गया है जबकि हमेशा माघ मेला के समय इस क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत सप्लाई होती थी । इलाहाबाद प्रदेश का शिक्षा प्रमुख शहर है, अतः इसे विद्युत कटौती से पूरी तरह मुक्त करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

यह विषय लोक महत्व का एवं अविलम्बनीय है अतः नियम –301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं । |

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री बंशीधर पाण्डेय जवाहर सिंह यादव तथा प्रदीप कुमार यादव के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बंशीधर पाण्डेय का 15 दिसम्बर, 2003 को निधन हो गया । वे लगभग 76 वर्ष के थे । श्री बंशीधर पाण्डेय का जन्म 21 जनवरी, 1927 को ग्राम बिरया, पहाड़पुर, तत्कालीन जिला वाराणसी में हुआ था । उन्होंने के०पी० कालेज, इलाहाबाद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी । श्री पाण्डेय वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र भदोही, तत्कालीन जिला वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1969 में कांग्रेस के टिकट पर पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री बंशीधर पाण्डेय वर्ष 1942 में विद्यार्थी जीवन में ही स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गये थे । वे मण्डल कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी तहसील कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी तथा जिला बोर्ड, भदोही की सार्वजनिक निर्माण समिति के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी के सेक्रेटरी तथा अन्तरिम जिला परिषद, वाराणसी के सदस्य रह चुके थे । वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा जिला कांग्रेस कमेटी, वाराणसी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे । वे अवैतनिक सभा सचिव तथा श्री चन्द्रभान गुप्त मंत्रि मण्डल में दिनांक 23-11-1969 से 17-02-1970 तक राज्य मंत्री रह चुके थे । वे वर्ष 1979 से 1981 तक उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) के अध्यक्ष रहे थे । वे वर्ष 1983 से 2003 तक उत्तर प्रदेश संसदीय

नोट: | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष, बाद में अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष भी रहे । ग्रामीण उत्थान, अध्ययन एवं लेखन में उनकी रुचि थी । श्री बंशीधर पाण्डेय के निधन से संत रविदास नगर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया । उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जवाहर सिंह यादव का 31 दिसम्बर, 2003 को नई दिल्ली में निधन हो गया । वे लगभग 76 वर्ष के थे । श्री जवाहर सिंह यादव का जन्म 20 सितम्बर, 1927 को ग्राम सरांव लालखोत, जिला इलाहाबाद में हुआ था । उन्होंने एम०ए०, एल०एल०बी० तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री जवाहर सिंह यादव वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज, जिला इलाहाबाद से लोकदल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रह चुके थे । श्री जवाहर सिंह यादव एक कुशल, कर्मठ एवं समर्पित नेता थे । उन्होंने वर्ष 1956 में केन्द्रीय सरकार की नौकरी से इस्तीफा देकर वकालत प्रारम्भ की तथा डा० राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर राजनीति में प्रवेश किया । उन्होंने वर्ष 1956 से प्रत्येक समाजवादी आन्दोलन में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे कई बार कारागार में बन्दी रहे । वे आजीवन पिछड़े वर्गों अन्य संस्थाओं, अनुसूचित जातियों एव पूरी तरह से किसानों के हित की राजनीति में सक्रिय रहे । कृषि कार्यों, वकालत तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी । श्री जवाहर सिंह यादव के निधन से जनपद इलाहाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं विधान परिषद के वर्तमान सदस्य श्री प्रदीप कुमार यादव का 19 जनवरी 2004 की रात्रि लखनऊ में निधन हो गया । वे लगभग 70 वर्ष के थे । श्री प्रदीप कुमार यादव का जन्म 2 जुलाई 1934 को ग्राम रुकुनउद्दीनपुर, जिला बाराबंकी में हुआ था । उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बी०ए०, एल०एल०बी० तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री प्रदीप कुमार यादव सर्वप्रथम वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र रुदौली, जिला बाराबंकी से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1980 में जनता (एस०) तथा वर्ष 1989 में जनता दल से पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे 16 जनवरी, 1998 को विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे ।

श्री प्रदीप कुमार यादव छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखते थे तथा डा० राम मनोहर लोहिया जी के मार्ग दर्शन में कार्यरत रहते थे । उन्होंने अनेक जन-आन्दोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे अनेक बार जेल गये थे । वे श्री बनारसी दास मंत्रि मण्डल में 01-07-79 से 17-02-80 तक राज्य मंत्री रहे थे । वे सत्यनाम विद्यापीठ बाराबंकी के प्रबन्धक तथा राम सेवक यादव स्मारक इंटर कालेज, बाराबंकी तथा राम सेवक यादव महाविद्यालय, बाराबंकी के संस्थापक सदस्य थे । जनसेवा और जनसम्पर्क बनाये रखने में उनकी रुचि थी । श्री प्रदीप कुमार यादव के निधन से जिला बाराबंकी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

इन तीनों भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन से पूरा सदन दुःखी है । मैं आपकी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा । मेरा आप सबसे अनुरोध है कि दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए हम खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया ।)

प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था तथा समाप्त जिलों एवं मण्डलों को बहाल किये जाने विषयक नियम–311 की सूचनाओं को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग (क्रमागत)

(श्री नवाब सिंह नागर श्री घनश्याम शुक्ल, श्री सतीश महाना श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री जटाशंकर सिंह, श्री राम इकबाल सिंह, डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी श्री धर्मराज निषाद, श्री शारदा प्रसाद तथा इलम सिंह के साथ बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य भी सदन की वेल में आ गये और जिलों एवं मण्डलों को बहाल किये जाने सम्बन्धी पोस्टर एवं बैनर दिखाते हुए नारे लगाने लगे । जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री नवाब सिंह नागर–

अध्यक्ष जी हमारे साथ अन्याय हुआ है, गौतम बुद्ध नगर जिला बहाल किया जाय ।

(श्री नवाब सिंह नागर गौतम बुद्ध नगर जिला बहाल किये जाये का बैनर लिये हुये थे)

श्री घनश्याम शुक्ला–

अध्यक्ष, जी, बहुत गम्भीर विषय है, हम लोगों ने नियम 311 में सूचना दी थी । पहले हमें सुन लिया जाये तथा मण्डल व जिले बहाल किये जायें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले व्यवस्थित हो जाइये । नियम–311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । जब आप व्यवस्थित हो जायेंगे तभी सुना जा सकता है ।

(इसी बीच श्री रामवीर उपाध्याय, श्री धर्मराज निषाद सहित बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य अम्बेडकर नगर जिला बहाल किये जाने के लिए नारे लगाते हुए सदन की वेल में आ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है गुण्डा राज कायम हो गया है, सरकार द्वारा मनमानी की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग व्यवस्थित हो जायें तो मैं नियम–56 की सूचनायें ले लूं । नियम–311 को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें तो आगे की कार्यसूची चले ।

(सदस्यों के सदन के वेल में खड़े रहने पर)

अब मैं सदन को 3.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा किये गये अनुरोध की सदन के वेल में खड़े सदस्यों द्वारा अनसुनी किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 6 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 3.00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गयी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में हमने नियम–311 में सूचना दी है । चारों तरफ लोगों में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है ।

(श्री सतीश महाना, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी डा० विनोद तिवारी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव आदि अनेक सदस्यगण सदन के वेल में आ गये और बोलने लगे ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

भंग जिलों को बहाल करो ।

डा० विनोद तिवारी –

गन्ना किसानों का मिल मलिकों द्वारा शोषण हो रहा है ।

(जिलों एवं मण्डलों को बहाल किये जाने के लिए नारे लगाये गये)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–56 में चयनित हो गयी है । मेरा अनुरोध है कि अपने स्थान पर चलिये और चर्चा शुरु करिये ।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुनी करते हुए लगातार नारे लगाये गये ।(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अवसर दे रहा हूं । चर्चा शुरु करिये ।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

भंग जिले बहाल करो ।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में नियम–311 में जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं उनको सम्मिलित करते हुये कुल 22 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है । मेरा अनुरोध है कि चर्चा शुरु करें ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मद संख्या–9 को ले लें ।

(सदस्यों के द्वारा लगातार नारे लगाते रहने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 4 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 3 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 4.00 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री राम इकबाल सिंह आदि कई माननीय सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आने पर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में नियम–311 में हमने इतनी महत्वपूर्ण सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें ।

(सदस्यगण लगातार सदन के वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे और नियम–311 की सूचना को लिए जाने की मांग करने लगे जिस पर श्री उपाध्यक्ष ने अगले उपवेशन के दिन पुनः लिख कर दिये जाने पर विचार किये जाने का आश्वासन दिया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं । मैं मद संख्या–9 ले रहा हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ सम्वेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 04 फरवरी, 2004 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।" (श्री उपाध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए फ्लोर पर आए भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये।)

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, लोकतंत्र में आदर्श अवधारणा यह है कि यह जनता का जनता के लिये और जनता द्वारा चलाया जाने वाला लोक कल्याणकारी राज्य होगा । इस अवधारणा को लेकर लोकतंत्र विश्व के अनेकानेक देशों में कुछ अपवाद स्वरूप छोड़कर चल रहा है और सफलतापूर्वक चल रहा है ।

श्री भगेलू राम श्री इलम सिंह, श्री अब्दुल मन्नान, श्री लालजी वर्मा श्री धर्मराज निषाद तथा श्री ददुद प्रसाद के साथ बसपा के अनेक सदस्यगण सदन के वैल में खड़े होकर जोर-जोर से सरकार विरोधी नारे लगाते रहे । (घोर व्यवधान) हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतंत्रात्मक सत्ता को स्वीकार किया और एक संविधान की रचना की गई और अपने प्रदेश में सौभाग्य से लोकतंत्र सफलतापूर्वक स्वतंत्रता के पश्चात् से चला आ रहा है । किन्तु जिस प्रकार का वातावरण पिछले वर्षों में रहा है लोकतंत्र रूढ़ियों और परम्पराओं की बन्दी बनाकार रखा गया । लोक कल्याण की संकल्पना तो थी, लोक कल्याण करने की इच्छा भी थी मगर जाने अनजाने में कुछ ऐसी परम्परायें ऐसी रूढ़ियां बनती चली गई कि चाहकर भी सरकारें लोक कल्याण करने में असमर्थ रहीं ।

(घोर व्यवधान)

पहली बार ऐसा हुआ है कि कई परम्पराओं को, जो कल्याणकारी योजनाओं में बाधा बनती थीं, कई ऐसे तत्व जो जाने अनजाने सिस्टम के कारण लोकतंत्र की अवधारणा को झुठला रहे थे, लोकतंत्र के सुपरिणाम प्राप्त करना अवरोध बन रहा था और जनता से सीधा संवाद नहीं हो पा रहा था ।

(घोर व्यवधान)

डा० पी०के०राय–

मान्यवर, मैं अरविन्द गिरि जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक प्रदेश हो गया है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का सात प्रतिशत है देश की आबादी का 16 प्रतिशत आबादी यहां पर है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का मात्र 9 प्रतिशत योगदान है। उत्तर प्रदेश में 31 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं जो देश के औसत 26 प्रतिशत से अधिक है इसकी हालत धीरे-धीरे बदतर हो गई है और यह प्रदेश देश में स्वास्थ्य सेवाओं में 19वें स्थान पर निवेश में 15वें स्थान पर कानून व्यवस्था में 17वें स्थान पर सम्पन्नता और बजट में 16 वें स्थान पर कृषि में आठवें स्थान पर पहुंच गया है। इन सारी चीजों के बावजूद राज्य घरेलू उत्पाद में देश के सर्वोच्च तीन प्रदेशों में से एक है।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के कुछ सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे.)

मान्यवर, समाज में सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का संकट है इसके जन्म दाता सदन में बैठे हम सब लोग हैं और हम लोग ही सबसे ज्यादा इसके शिकार हैं। इससे निजात दिलाने की भी हमारी जिम्मेदारी है जो भाषणों से नहीं हो सकती है हमें कथनी और करनी के अन्तर को समाप्त करना होगा जो हमारी सरकार की नीति है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है शासन इकबाल से चलता है शासन का इकबाल समाप्त हो गया है और कथनी करनी के अन्तर को समाप्त करके हमारी सरकार इकबाल कायम करेगी। (घोर व्यवधान) (सदन के फ्लोर से सदस्यगण नारे लगा रहे थे)

मान्यवर, शासन तंत्र का पूरी तरह से राजनीतिकरण करके लोकतंत्र का गला घोटने में जो इस्तेमाल किया गया उसके कारण प्रदेश पीछे चलता गया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए कल्याणकारी सरकार के दायित्व के निर्वहन का उल्लेख किया है जिसमें प्रदेश के गरीब लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। इसके लिए अप्रवासी भारतीय और इस प्रदेश के दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। और इस हेतु स्वास्थ्य फाउन्डेशन का गठन किया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवायें सस्ते दाम में उपलब्ध करायेंगे। किंग जार्ज मेडिकल कालेज में उच्च तकनीकी अपेक्स ट्रामा सेन्टर की स्थापना की गई है पिछले कई दशकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा हुई है जिसकी वजह से प्रदेश देश में 19वें स्थान पर पहुंच गया।

पूर्ववर्ती सरकार ने प्रति व्यक्ति मात्र 48 रुपये चिकित्सा व्यय का प्राविधान किया है। हमारी सरकार ने औषधियों के लिए 40 करोड़ रुपये की अलग व्यवस्था की है। उ०प्र० के गन्ना किसान गन्ने का देश में सर्वाधिक उत्पादन करते हैं यह गन्ना उत्पादन सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां गन्ने का अवशेष 1293 करोड़ का भुगतान सुनिश्चित किया गया है ...

(घोर व्यवधान)

इस हेतु राज्य चीनी निगम सहकारी चीनी निगम को 532 करोड़ की सहायता दी गई है। 24 बीमार चीनी मिलों को पट्टे पर दिए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। 11 बन्द होने वाली चीनी मिलों को पुनः चला दिया गया है। जिससे गन्ना किसानों को गन्ना पेराई में दिक्कत न हो। सिंचाई में 25 हजार किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई हुई है। बाढ़ बचाव कार्य का निरीक्षण समय से पहले कर लिया गया है। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए खर्चों पर पाबन्दी की जा रही है।

(घोर व्यवधान)

(वेल में आये बसपा के सदस्य जोर-जोर से नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

हमारी सरकार ने चीनी मिलों को फिर से चलाने का फैसला किया है । महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि प्रदेश में कानून का राज होगा और उत्तर प्रदेश की जो गौरवशाली परम्परा रही है जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसे बनाए रखने का प्रयास इस वर्तमान सरकार द्वारा किया जायेगा । बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं ।.....

(घोर व्यवधान जारी)

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डा० पी०के० राय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन कर रहे हैं, उनका भाषण जारी रखते हुए सदन को व्यवस्थित करें क्योंकि 5.00 बजे वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत किया जाना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी । अब मैं मद संख्या–10 लेता हूं ।

(बसपा के सदस्य जोर-जोर से नारे लगाते रहे और व्यवधान जारी रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण

* संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें प्रस्तुत करता हूं ।

(अनुपूरक अनुदानों की प्रतियां वितरित की गई)

श्री उपाध्यक्ष–

अब अगली मद लेते हैं ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 05 फरवरी, 2004 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुयी । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की, मेरठ नगर निगम सहित प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 तथा उ०प्र० नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली 2000 के अनुरूप स्वकर निर्धारण के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । दूसरी सूचना श्री राम नरेश यादव की जनपद आजमगढ़ में भीषण ओलावृष्टि से हुयी फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को आर्थिक सहायता हेतु विशेष पैकेज दिये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । तीसरी सूचना श्री राम किशुन की जनपद वाराणसी के अन्तर्गत गंगा नदी के कटान से रामनगर को बचाने हेतु तत्काल धन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । चौथी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के चिलकहर स्थित कोइरा गांव को टोन्स नदी के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कटान से बचाने हेतु ठोकर का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । पांचवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । छठी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में विधायक की संस्तुति पर पांच ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने के संबंध मे है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है । सातवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की प्रदेश में ग्राम सभा की तथा अन्य सरकारी खाली जमीनों पर अवैध कब्जे को रोकने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है । आठवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है जनपद आजमगढ़ में कुशमुलिया माइनर के निर्माण हेतु किसानों की ली गयी भूमि के प्रतिकर के भुगतान के संबंध मे है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है । नवीं सूचना श्री प्रागीलाल अहिरवार की जनपद झांसी की तहसील टहरौली में ओलावृष्टि से हुई किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु दैवीय आपदा कोष से धन दिये जाने के संबंध मे है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है । निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयी । 1–डा० अजय कुमार मेहरोत्रा, 2–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, 3–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, 4–श्री मुन्शी लाल गौतम तथा 5–श्री लालजी वर्मा ।

अब हम उठते हैं दिनांक 10-2-04 को 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 03 मिनट पर मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2004 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:

दिनांक 5 फरवरी, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

देखिये अता०प्र०सं०–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं० 6 पर ।

सूची

1–श्री आर०एस० बिसारिया

2–अनुज स्टोर

3–सुपर फिट टेलर्स

4–स्टार होटल

5–शब्बू शाकिर रिपेयर्स

6–यानिस स्टील वर्क्स

7–होजरी एण्ड कास्मेटिक सेन्टर

8–इफ्तिखार मोटर साइकिल रिपेयर्स

9–श्री सरफराज अली

10–श्री बदरूल रहमान नदवी

11–श्री नारायण ट्रेडर्स

12–स्टेशनरी प्वाइन्ट एण्ड बुक सेन्टर

13–स्टार होटल

14–श्री आर०एस० श्रीवास्तव

15–नेशनल सेल्स एण्ड मार्केटिंग

16– स्टार ड्राई क्लीनर्स

17–फरीद जनरल स्टोर

18–एन०ए० साड़ीज एण्ड होजरी

19–स्टार कम्प्यूटर्स

20–श्री राजीव सिंह (अपना बुक डिपो)

21–डा० आई०ए० सिद्दीकी

22–सागर पेन्ट्स

23–इन्दिरा पब्लिक इन्टर कालेज

24–मोहित ट्रेडर्स

25–श्री वेद प्रकाश तिवारी

पी० एस० यू० पी०–एल० 14 विधान सभा (30)–12-5-2004–813 प्रतियां ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा